न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2025(GCMS 2025/53)
(आरटीआई संख्या 212356745739450)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री अर्पित भादू पुत्र श्री जय कुमार भादू निवासी 2072 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 87641-06600

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता, श्रीगंगानगर

30.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अर्पित भादू स्वयं उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अर्पित भादू ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2024 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर से निम्न तीन बिन्दुओं की **सूचना चाही थी** :

प्रकरण स्टेट बनाम विक्रमजीत सिंह न्यायालय अति. जिला कलक्टर सतर्कता, श्रीगंगानगर प्रकरण संख्या 37/1978 कि

1. मूल पत्रावली व समस्त ऑर्डर शीट व आदेश की नकल
2. मूल पत्रावली वर्तमान में किस कार्यालय में है।
3. उक्त प्रकरण में दिनांक [illegible] के पश्चात क्या आदेश व कार्यवाही की गई है।

उक्त [illegible] समस्त जानकारी प्रदान की जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/25/258 दिनांक 11.02.2025, 357/03.03.2025, 981/30.04.2025, 1233/02.06.2025 से लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है, उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सतर्कता, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे व अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर